राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2433/2025

कुशल चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित अपील को स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।। से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु जारी पात्रता सूची दिनांक 27.01.2025 एवं उसके पश्चात जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 30.03.2025 को चुनौती दी गई है। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।। से पदोन्नति का अन्य चैनल वरिष्ठ अध्यापक है, जिसकी निर्धारित पात्रता अपीलार्थी धारित करता है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी की वेतन श्रृंखला में आदेश दिनांक 12.02.2018 (अनुलग्नक–2) द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। अपनी नियुक्ति के पश्चात् अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तबिजी, पीसांगन जिला अजमेर में कार्यरत है। तत्पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17/20.07.2020 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर स्थायी किया गया (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर द्वारा दिनांक 21.12.2022 (अनुलग्नक–4) के आदेश द्वारा कश्मीर विश्वविद्यालय से बी.एड. पाठ्यक्रम करने की स्वीकृति दी गई। अपीलार्थी इससे पूर्व बी.एस.सी. की योग्यता धारित करता था एवं बाद में बी.एड. की योग्यता धारित कर ली। अपीलार्थी द्वारा धारित बी.एस.सी. एवं बी. एड. की योग्यता को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के सेवाभिलेख में आदेश दिनांक 27.09.2024 एवं 14.01.2025 के द्वारा जोड़ा गया (अनुलग्नक–5 एवं 6)। राजस्थान

शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 की अनुसूची–II (अधीनस्थ सेवाओं के पद) अनुसार प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति अध्यापक ग्रेड–।।। एवं प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।। से होती है (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी 5 वर्ष का अनुभव एवं बी.एड. की योग्यता धारित करने के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र है। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।। से नियमों में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति के दो चैनल है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की मण्डल स्तरीय अस्थायी पात्रता सूची दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–1) संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग अजमेर द्वारा जारी की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 15 पर दर्शित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने इस हेतु कोई विकल्प नहीं मांगा। अपीलार्थी विज्ञान विषय से स्नातक व बी.एड. की योग्यता धारित करता है एवं अपीलार्थी के पास 5 वर्ष का अनुभव है। इस आधार पर अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्दिष्ट पात्रता रखता है। अपीलार्थी वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति का इच्छुक नहीं है। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को उनके द्वारा जारी पात्रता सूची दिनांक 27.01.2025 के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 30.01.2025 (अनुलग्नक–8) भी प्रस्तुत किया है एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति करने का निवेदन किया। श्री शांति लाल चौधरी, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मांजल जिला बाड़मेर में लैब सहायक ग्रेड III के पद पर अपीलार्थी के समान कार्यरत थे, को भी दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में शामिल किया गया है और आगे उन्हें दिनांक 16.03.2020 के आदेश द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया (अनुलग्नक–9)। ऐसे में अपीलार्थी, जो समान योग्यता रखता हैं, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II के पद पर पदोन्नति का भी हकदार हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने वरिष्ठ लैब सहायक की आलौच्य पात्रता सूची जारी की है जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल किया गया है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से पदोन्नति के संबंध में विकल्प पत्र प्राप्त किए बिना दिनांक 30.03.2025 (अनुलग्नक–10) के आदेश द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर कर दी गई। इसके पश्चात आदेश दिनांक 03.04.2025 (अनुलग्नक–11) के द्वारा परामर्श कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश जारी किया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई पदोन्नति का परित्याग कर दिया गया, जिसकी सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तबीजी, अजमेर द्वारा संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग अजमेर को दिनांक 09.04.2025 को प्रेषित की गई (अनुलग्नक–12)। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई अवैध, मनमानी और कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। विभाग द्वारा जारी पात्रता सूची दिनांक 27.01.2025 एवं पदोन्नति आदेश दिनांक 30.03.2025 को अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जावे

एवं अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्देशित किया जावे। साथ ही अपीलार्थी के वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने को पदोन्नति परित्याग नहीं माना जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील के सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष प्रथम दृष्ट्या ही वर्णित किया जाना उचित होगा कि अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद से व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) तथा प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) के पद हेतु जो विकल्प मांगे जाने के जिस प्रावधान को वर्णित करते हुए माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है उक्त प्रावधान को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.04.2022 (अनुलग्नक–आर/1) के द्वारा "डिलीट"/निरस्त किया जा चुका है क्योंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रधानाध्यापक (मा०शि०) के पद को समाप्त/डाईकैडर घोषित किया जा चुका है तथा वर्णित प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है। साथ ही माननीय अधिकरण के समक्ष यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि प्रयोगशाला सहायक के पद से पदोन्नति हेतु विकल्प मांगे जाने का कोई भी प्रावधान नियमों में वर्णित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के यह अनुतोष भी चाहा गया है कि उसके द्वारा किये गये पदोन्नति परित्याग को परित्याग (Forego) नहीं माना जावे। इस सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष वर्णित किया जाना उचित होगा कि राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में भी प्रावधानों को समय–समय पर वर्णित किया गया है, यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करता है तो वह आगामी दो वर्ष की नियमित डीपीसी हेतु पदोन्नति का पात्र नहीं होता है, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दू संख्या 10.2 में पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में निम्न प्रावधान वर्णित किये गये है :–

> ''10.2 जो राजसेवक आवश्यक अस्थाई अथवा नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर पदोन्नत किया गया था, यदि वह लिखित अनुरोध इस आशय से करता है कि वह पदोन्नति को स्वीकार नहीं (forego) करता है और सम्बन्धित प्राधिकारी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो इस प्रकार का राजसेवक आगामी दो भर्ती वर्षों के लिये आवश्यक अस्थाई अथवा नियमित पदोन्नति हेतु पात्र नही होगा और उसका नाम पदोन्नति हेतु तैयार की जाने वाली पात्रता सूची में आगामी दो वर्षों तक सम्मिलित नहीं किया जाए।''

इस प्रकार स्पष्टया अपीलार्थी कार्मिक पदोन्नति परित्याग उपरांत आगामी दो डीपीसी वर्ष हेतु पदोन्नति का पात्र नहीं है तथा अपीलार्थी कार्मिक पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में भी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार को कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पदोन्नति परित्याग के सन्दर्भ में यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि पदोन्नति परित्याग का सीधा प्रभाव राज्य कर्मचारी को देय एसीपी के वित्तीय लाभ पर भी होता है। यदि कोई राज्य कर्मचारी पदोन्नति का परित्याग करता है तो वह कर्मचारी जब तक पदोन्नति को पुनः स्वीकार नहीं कर लेता तब तक वह

एसीपी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के आदेश कमांक :– No. F. 15(1)FD/Rules/2017 Jaipur] Dated : 30th October, 2017 के नियम 14 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी तथा अधिनस्थ कार्मिकों के लिए एसीपी के प्रावधान लागू किये गये तथा एसीपी के संबंध में विस्तृत आदेश शिड्यूल– IV में जारी किये गये है। उनका कथन है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के निर्देशानुसार प्रत्येक सत्र हेतु प्रत्येक संवर्ग की नियमित डीपीसी का आयोजन उस चयन वर्ष में 01 अप्रैल की तिथि को आधार मानकर पात्रता प्रकाशित करने के पश्चात किया जाता है। इसके तहत् संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग के द्वारा सत्र 2024–25 की प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 को आयोजित की गई। जिसमें उक्त अपीलार्थी का सत्र 2024–25 की वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर डीपीसी में पात्र होने के कारण आदेश दिनांक 30.03.2025 द्वारा चयन तिथि 01.04.2024 से चयन किया गया। कार्मिक द्वारा दिनांक 30.03.2025 को जारी चयन आदेश के सन्दर्भ में पदोन्नति का परित्याग किया गया एवं उक्त पदोन्नति परित्याग को संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के पत्र दिनांक 09.04.2025 के द्वारा संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर को अग्रेषित किया गया। वर्तमान में न्यायालय के अन्तरिम आदेश के कारण वरिष्ठ अध्यापक समस्त विषय की सत्र 2021–22 से वर्तमान तक की पदोन्नतियां लम्बित है इस कारण वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चल रही है, परन्तु वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति निरन्तर आयोजित की जा रही है एवं दिनांक 01.04.2024 से अपीलार्थी वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमों के प्रावधानान्तर्गत निर्धारित योग्यता एवं अनुभव होने से पात्र था। अतः अपीलार्थी को नियमानुसार वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर पदोन्नत किया गया है। अतः वर्णित स्थिति अनुसार अपीलार्थी कार्मिक माननीय अधिकरण से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन एवं मनन किया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम 2021 की अनुसूची–II के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रयोगशाला सहायक को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु निम्न पात्रता/योग्यता निर्धारित की गई है –

" Five years' experience on the post mentioned in column number 6 with–

(i) For the posts at serial number 1, 2,3 and 5: Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as optional subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government'

(ii) For the post at serial number 4: Graduate or equivalent examinaiton recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subject: Physics, Chemistry, Zoology, Botny, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-chemistry, and Degree or Diploma in Educaiton recognized by the National Council of Teacher Education/Government,

(iii) For the post at serial number 6: Graduate or eqivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subject: History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government."

इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निम्न योग्यता/पात्रता निर्धारित की गई है :–

" Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as optional subjects:- Chemistry, Zoology, Botany, Micro- Biology, Bio-Technology and Bio-chemistry with five years' experience on the post mentioned in column number 6 or Senior Secondary with 10 years' experience on the post mentioned in column number 6."

6. हम यह पाते हैं कि नियमों में प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान है। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक पद पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता/पात्रता धारित करते हैं एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विभागीय अभिलेख में इसकी योग्यता का अंकन किया जा चुका है तथा जारी वरिष्ठता सूची में भी अंकित है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रयोगशाला सहायक से संबंधित सेवा नियमों में पदोन्नति के दो चैनल है। एक वरिष्ठ प्रयोगशाला और द्वितीय वरिष्ठ अध्यापक। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 की रिक्तियों पर प्रयोगशाला सहायक पद से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अस्थाई पात्रता सूची का प्रकाशन दिनांक 27.01.2025 को किया जाकर दिनांक 30.01.2025 तक आपत्तियां चाही गई हैं। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 30.01.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक पद की निर्धारित पात्रता रखता है और वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति लेना चाहता है। पदोन्नति दो अलग–अलग पदों पर करने का चैनल है, परंतु नियमों में विकल्प पत्र भरवाने का प्रावधान नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 के द्वारा कर दी गई है। अपीलार्थी का कथन है कि जारी अस्थाई पात्रता सूची दिनांक 27.01.2025 और पदोन्नति आदेश दिनांक 30.03.2025 को अपास्त किया जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग का मुख्य रूप से कथन है कि चूंकि अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर हो गई है। ऐसी दशा में अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति परित्याग करने पर आगामी दो वर्षों तक पदोन्नति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

8. हमारा यह मानना है कि जब अपीलार्थी द्वार पात्रता सूची के संबंध में नियत समय से पहले ही आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई थी कि पद वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पर

पदोन्नति नहीं चाहता एवं निर्धारित योग्यता धारित करने के कारण वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति चाहता है। तो ऐसी दशा में उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए था और यदि अपीलार्थी वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति का इच्छुक नहीं है तो उस पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए था। चूंकि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक पद की पात्रता धारित करता है। अतः हम अपीलार्थी की हद तक पात्रता सूची दिनांक 27.01.2025 और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 30.03.2025 को निरस्त करते हैं और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति हेतु विचार जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक उससे पहले वरिष्ठ प्रयोगशाला पद पर पदोन्नत होता है एवं अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर विलम्ब से होती है तो ऐसी दशा में अपीलार्थी किसी प्रकार के परिलाभ की मांग नहीं कर सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश अपास्त किए जाने से इसे पदोन्नति परित्याग नहीं माना जायेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य